सेवाएं विभाग
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, सातवां तल, 'बी' विंग,
आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली – 110002

अतारांकित प्रश्न संख्याः 127
दिनांकः 09.08.2017
प्रश्नकर्ता का नामः श्री राजू धिंगान

क्या उप मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि दास एवं स्टेनोग्राफर कैडर के कर्मचारी विभिन्न विभागों में डायवर्टिड कैपेसिटी में पोस्ट किए जाते हैं;	हाँ, स्वीकृत पद से अतिरिक्त स्टाफ प्रदान करने के लिए अनुरोध विभिन्न विभागों/एजेंसियों/कार्यालयों से उनके काम की आवश्यकता एवं समयबद्ध प्रशासकीय कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्राप्त होते हैं।
ख	क्या यह भी सत्य है कि एक लम्बे अन्तराल के बाद वेतन के उद्देश्य से सेवाएं विभाग द्वारा नोशनल पोस्टिंग के आदेश जारी करने के भी दृष्टांत सामने आए हैं;	साधारणतया स्थानांतरण आदेश जारी करते समय संबंधित विभाग की रिक्त पदों की संख्या को दृष्टि में रखा जाता है। और, कई विभाग सेवा विभाग के संज्ञान में लाये बिना पदों का सृजन या पदों को समाप्त कर देते हैं और परिणामस्वरूप पदों की संख्या के विवरण में भिन्नता आ जाती है। केवल कुछ अपवाद मामलों में विभागों में रिक्त पदों की संख्या में विसंगतियों के कारण विशिष्ट परिस्थितियों में इस विभाग द्वारा वेतन तथा व्यक्तिगत तैनाती के आदेश अलग–अलग जारी किये जाते हैं।
ग	स्थानांतरण आदेश के साथ–साथ वेतन एडजस्ट करने के आदेश जारी न किए जाने के क्या कारण हैं,	
घ	क्या इस प्रकार के स्टाप गैप व्यवस्था को रोकने और अधिकारी/कर्मचारी जहां वास्तव में काम करते हैं, वहीं उनका वेतन दिया जाना सुनिश्चित करने की सरकार की कोई योजना है, और	उपरोक्त उत्तर (क) के मद्देनज़र कार्मिकों को उनके मूल विभाग, जहाँ वे कार्यरत हैं, से वेतन भुगतान हो पाना संभव नहीं है। तथापि यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान होता रहे।
ङ	यदि हां, तो उसका विवरण क्या है, और	उपरोक्त (घ) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।
च	यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?	सेवा विभाग के लिए कामचलाऊ व्यवस्था हटा देना संभव नहीं है क्योंकि ज्यादातर महत्वपूर्ण कार्यालय अपनी स्वीकृत पद संख्या से अधिक और अपने कार्य आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त कर्मचारीगण प्रदान करने का अनुरोध समय–समय पर करते रहते हैं। ऐसी संभाविताओं एवं कार्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरतमंद विभागों में अतिरिक्त कर्मचारीगण समय–समय पर डाइवर्टेड के आधार पर तैनात किये जाते हैं।

(अश्विनी कुमार मेहता)
उप सचिव (सेवाएं)

ASHWANI KUMAR MEHTA
Dy. Secretary (Services)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02